भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *249

(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

मामलों को वापस लिया जाना

***249. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रथम चरण की योजना में वर्ष 2017 में एक विशेष अभियान के दौरान 14,247 अभियोजनों को वापस ले लिया था और यदि हां, तो क्या सरकार का दूसरे अभियान में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित 7,338 अभियोजनों को वापस लेने का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी लंबित मामलों की गहन समीक्षा करने के लिए इस संबंध में किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने वापस लिए जाने हेतु विभिन्न अपराधों के संबंध में काफी समय से लंबित अभियोजनों की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामले किस प्रकार के हैं और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) इस कथन से देश में किस प्रकार से न्यायालयों में अटकाव दूर होंगे और कारपोरेट क्षेत्र को विकास मिलेगा?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>दिनांक 07.08.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *249 के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क): जी, हां। प्रथम चरण की योजना की प्रक्रिया में सरकार ने 14,247 अभियोजन वापस ले लिए थे। अब, पहले के अभियान को जारी रखते हुए सरकार का विशेष बकाया निकासी अभियान-II में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित 7,338 अभियोजनों को वापस लेने का प्रस्ताव है।

(ख) से (च): वापस लिए जाने के लिए प्रस्तावित अभियोजनों की संख्या दर्शाने वाली आरओसी-वार सूची अनुलग्नक-क में दी गई है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 2017 में एक समिति की स्थापना की जिसमें 7 प्रादेशिक निदेशक शामिल थे। समिति को लंबे समय से लंबित मामलों, जो तकनीकी और प्रक्रियात्मक संबंध के हैं, को वापस लेने के संबंध में सिफारिशें देनी हैं, और लंबित अभियोजनों की समीक्षा के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित करने हैं। वर्ष 2022 में एमसीए के प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा फाइल किए गए लंबित मुकदमों की समीक्षा करने के लिए इसी तरह की एक समिति का गठन किया गया था ताकि विभिन्न न्यायालयों में लंबित अभियोजन को वापस लेने की सिफारिश की जा सके। इन समितियों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के अपराधों से निपटने से मुक्त करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। विचार यह था कि प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के मामलों को विनियामक प्राधिकरणों को सौंपा जाए ताकि उन पर इन-हाउस मैकेनिज्म के माध्यम से अर्थात अधिनिर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई की जा सके। 2022 में मामलों को वापस लेने के मुख्य मानदंड निम्नानुसार हैं:

क. इन तीन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों को अभियोजन वापस लेने के लिए शामिल किया जाना है:

> क.1. जहां कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अभियोजन चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध दो वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, जो अन्यथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त हैं;
>
> क.2. कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सभी अभियोजन जो कम से कम 5 वर्षों से लंबित हैं, उनके अलावा जो जांच (धारा 206(1), 206(3) और 206(4) के तहत), निरीक्षण और अन्वेषण से, उत्पन्न होते हैं, जहां नोटिस सर्व नहीं किए गए है, और इसमें शामिल अपराध शमनीय अपराध हैं;
>
> क.3. जहां कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अभियोजन 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं और मामलों को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है (सीमा उन अपराधों पर लागू होती है जहां कारावास की अधिकतम अवधि केवल तीन वर्ष

तक है) और विलंब की माफी के लिए आवेदन दायर किया गया है लेकिन विलंब को न्यायालय द्वारा अभी तक माफ नहीं किया गया है। सीआरपीसी की धारा 468 को सीमा की अवधि के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

ख. तथापि, उक्त किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित कंपनियों को अभियोजन वापस लेने के दायरे से बाहर रखा गया हैः

ख.1. जिन कंपनियों ने उक्त कंपनियों की वर्तमान फाइलिंग स्थिति के सत्यापन के बाद कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020 (सीएफएसएस-2020) का पहले लाभ उठाया है;

ख.2. ऐसी कंपनियां जिनके विरूद्ध कोई गैर-शमनीय अपराध या धोखाधड़ी के लिए कार्रवाई दर्ज की गई है;

ख.3. जिन कंपनियों के विरूद्ध सार्वजनिक धोखाधड़ी/सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने/कपट की शिकायतें हैं और कार्रवाई चल रही है या पूरी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई लंबित है।

ख.4. सूचीबद्ध कंपनियां;

ख.5. लुप्त कंपनियां;

ख.6. वे कंपनियां जिन्हें सूचीबद्ध विनियमों या सूचीबद्ध समझौते या किसी अन्य सांविधिक कानूनों के गैर-अनुपालन के कारण डीलिस्ट किया गया है;

ख.7. ऐसी कंपनियां, जिन्होंने सार्वजनिक जमा स्वीकार की हैं जो या तो बकाया हैं या कंपनी ने उसी के पुनर्भुगतान में चूक की है;

ख.8. ऐसी कंपनियां जिनके पास ऐसे चार्ज हैं जिन पर अभी संतुष्टि नहीं हुई; और

ख.9. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां।

प्रादेशिक निदेशकों को अनुदेश जारी किए गए थे कि वे संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा अंतिम समीक्षा करने के बाद, संबंधित न्यायालयों के समक्ष वापसी संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को सलाह दें। इन ड्राइव I और II के तहत कार्रवाई से विभिन्न न्यायालयों से 21000 से अधिक मामलों में कमी आने तथा न्यायालयों में रूकावटें दूर करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

*****

अनुलग्नक-'क'

आरओसी-वार विश्लेषित विवरण

क्र.सं.	**कार्यालय**	**श्रेणी ए1**	**श्रेणी ए2**	**श्रेणी ए3**	**वापसी के लिए सिफारिश किए गए कुल मामलों की संख्या (3+4+5)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आरओसी-चैन्नई	177	20	0	197
2.	आरओसी-कोयम्बटूर	0	0	0	0
3.	आरओसी-केरल	28	02	0	30
4.	आरओसी-पुद्दुचेरी	0	06	0	6
5.	आरओसी-दिल्ली	12	11	0	23
6.	आरओसी-कानपुर	142	0	0	142
7.	आरओसी-जम्मू	4	0	0	4
8.	आरओसी-अहमदाबाद	222	7	0	229
9.	आरओसी-ग्वालियर	97	113	0	210
10.	आरओसी-जयपुर	0	10	0	10
11.	आरओसी-बिलासपुर	0	10	0	10
12.	आरओसी-मुंबई	0	55	0	55
13.	आरओसी-पुणे	241	0	0	241
14.	आरओसी-गोआ	63	0	0	63
15.	आरओसी-पश्चिम बंगाल	260	4851	0	5111
16.	आरओसी-कटक	44	91	0	135
17.	आरओसी-रांची	126	0	0	126
18.	आरओसी-पटना	307	367	0	674
19.	आरओसी-गुवाहटी	41	31	0	72
	कुल	1764	5574	0	7338

*****